कार्यालय मुख्य अभियन्ता फैजाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 फैजाबाद

पत्रांकः– 3911फै0क्षे0 / 24याता–(फै0अ0वृत्त) / 17 दिनांकः– 23/05/2017

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद–अम्बेडकरनगर ।

विषयः– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर पर स्थित भूमि ग्राम–मंसूरपुर, परगना–सुरहुरपुर,तहसील–जलालपुर राज्य मार्ग संख्या–05 के किमी0 180 चैनेज 179.800 पर डीजल / पेट्रोल रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–564 / ई0आर0के0 / पेट्रोल पम्प स्था / अनापत्ति प्रमाण पत्र / 16 दिनांक 24 सितम्बर 2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता फै0अ0 वृत्त लो0नि0वि0 फैजाबाद के पत्रांक–1335जी / 64काम–फै0अ0वृत्त / 17 दिनांक 05–05–2017 द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर में लुम्बिनी दुद्धी राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–5) के किमी0 180 चैनेज 179.800 पर मार्ग के दॉयी ओर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा संख्या–539 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तो एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :–

1– उपरोक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट जनपद अम्बेडकरनगर में लुम्बिनी दुद्धी राज्य मार्ग (राज्य मार्ग सं0–5) के किमी0 180 में (चैनेज 179.800) में ग्राम–मंसूरपुर, परगना–सुरहुरपुर, तहसील–जलालपुर, जिला–अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–539 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है ।

2– मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से दॉयी ओर 22.86 मीटर (75 फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय ।

3– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिटटी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए ।

4– रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सकें ।

5– सडक से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुॅचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 हयूम पाइप / आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय ।

6– बफर स्ट्रिप जो न्यूनतम 3.00 मीटर की चौडाई में तथा जिसकी न्यूनतम लम्बाई 12.00 मीटर हो । टायलेट रोड एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.86 मीटर की दूरी के बाद करना होगा ।

7– भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी । भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगें । भू–स्वामित्व होने पर ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा ।

8– इन एव ऐक्जिट हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें ।

9– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तो का भी पालन करना होगा ।

10— हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0 वि0 अम्बेडकरनगर द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

11— एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक—आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99—डी0ओ0—।।। दिनांक 24—07—2013 में दिये गये निर्देशो व चेकलिस्ट की शर्तो एवंआई0आर0सी0कोड—12, 1983 मे दी गयी शर्ते लागू होगी ।

12— जब भी मार्ग चौडीकरण हेतु भूमि वांछित होगी,तो भूमि चौडीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा ।

13— प्रमुख अभियन्ता,सामान्य वर्ग,लो0नि0वि0,लखनऊ के पत्र संख्या—4888एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0—23/14 दिनांक 30—12—14 द्वारा विशेष सचिव,लोक निर्माण अनुभाग—12,उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के कम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री शरदचन्द्र सिंह मकान नं0—169 पी0आर0 नेहरू इन्क्लेब गोमतीनगर तहसील लखनऊ जिला—लखनऊ पर बाध्यकारी होगा।

14— लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा ।

15— निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय ।

16— एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी ।

उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी ।

संलग्नकः—मानचित्र एक प्रति में एवं समस्त अभिलेख (मूल में)

23/5

(आर0आर0सिंह)
मुख्य अभियन्ता
फैजाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 फैजाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अधीक्षण अभियन्ता फै0अ0 वृत्त लो0नि0वि0 फैजाबाद को उनके पत्रांक—1335जी/64काम—फै0अ0वृत्त/17 दिनांक 05—05—2017 के संदर्भ में ।

2— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अम्बेडकरनगर ।

मुख्य अभियन्ता
फैजाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 फैजाबाद